म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स,किसान भवन,जेल रोड भोपाल

क्रमांक / मंडी / प्रांगण / विविध / 46/27/02 भोपाल,दिनांक 3-1-2015

प्रति,

संयुक्त संचालक / उप संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय ....(समस्त)

विषय :- कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण एवं उपमंडी प्रांगण में निर्मित भूमि एवं संरचना के आवंटन के संबंध में।

संदर्भ :- कार्यालयीन पत्र क्रमांक / मंडी / प्रांगण / विविध / 14-15 / 914 दि. 15.10.14

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। कृषि उपज मंडी समितियों के प्रांगण / उपमंडी प्रांगण में निर्मित / रिक्त संरचनाओं के आवंटन दुकान / गोदाम एवं सेण्ड्रीशाप इत्यादि की नीलामी की कार्यवाही भूमि एवं संरचना का आवंटन नियम, 2009 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किये जाने हेतु मंडी समितियों को अधिकार प्रदत्त है। किन्तु यह देखने में आया है कि कतिपय कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा मंडी प्रांगण / उपमंडी प्रांगण में रिक्त / निर्मित संरचनाओं की नीलामी के संबंध में प्रस्ताव उदाहरण के रूप में नियम 7 के अंतर्गत अग्रिम धन की वापस करने के संबंध में, नियम 10 के अंतर्गत निक्षेप राशि वापस करने के संबंध में एवं प्रांगण में निर्मित अन्य संरचनाओं जिनका आवंटन नियम, 2009 में प्रावधान नही है उसके संबंध में प्रस्ताव आंचलिक कार्यालयों को प्रेषित किये जाते हैं।

आंचलिक कार्यालय के संयुक्त संचालक / उप संचालक द्वारा मंडी समिति से प्राप्त प्रस्तावों का आवंटन नियम, 2009 में वर्णित प्रावधानों के तहत परीक्षण किये बिना अपनी अनुशंसा सहित मुख्यालय को मार्गदर्शन हेतु प्रेषित किये जा रहे है। जिसमें यह भी उल्लेख नही है किन नियमों के तहत मुख्यालय से मार्गदर्शन चाहा गया है जबकि निर्मित संरचनाओं की नीलामी की कार्यवाही किये जाने एवं संरचनाओं के आवंटन के लिये आवंटन नियम, 2009 के निहित प्रावधानों के तहत मंडी समिति स्वयं सक्षम है। मंडी प्रांगण / उपमंडी प्रांगण में रिक्त संरचनाओं के नीलामी / आवंटन के अभाव में मंडी समितियों को आर्थिक हानि भी उठानी पड़ रही है।

आपको संदर्भित पत्र से निर्देशित किया गया था कि मंडी समिति के प्रांगण / उपमंडी प्रांगण में निर्मित एवं रिक्त दुकान / गोदाम एवं सेण्ड्रीशाप इत्यादि की नीलाम / आवंटन की कार्यवाही भूमि आवंटन नियम, 2009 के अंतर्गत विशेष अभियान चलाकर 30 नवम्बर 2014 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कृपया की गई कार्यवाही / अद्यतन स्थिति की जानकारी तत्काल भेजी जाना सुनिश्चित करें।

अपर संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क्रमांक / मंडी / प्रांगण / विविध / 46/27/03 भोपाल,दिनांक 03/01/15

प्रतिलिपि :—

सचिव, कृषि उपज मंडी समिति..........................जिला..............................(समस्त) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल